

प्रेषक,

12.10.1948

सोन नहर किसान संघर्ष समिति

2/3, आर. ब्लॉक, पटना-800001

सेवा में,

श्री आरिफ मुहम्मद खान

उर्जा मंत्री,

भारत सरकार, नई दिल्ली-110001।

विषय: सोन घाटी के सिंगरौली क्षेत्र में बन रहे ताप बिजली घरों के कारण बिहार की शताब्दी पुरानी सोन नहर प्रणाली पर उत्पन्न संकट के संबंध में।

मान्यवर,

सोन एवं इसकी सहायक नदियों में उपलब्ध जल के आधार पर बिहार के सो अंचल में शताब्दी पुरानी सुनिश्चित सिंचाई प्रणाली का क्रमिक विकास हुआ है। सोन अंचल के किसान सोन घाटी के जल का आयोग कृषि एवं संबद्ध कार्यो करते आ रहे हैं। सोन जल पर बिहार के चिर उपभगाधिकार को रिहन्द परियोजना (DEO) और बाणसागर परियोजना (1963) में पहले ही मान्यता मिल चुकी है।

बिहार की कृषि आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुये रिहन्द परियोजना (1963) में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जल विद्युत निर्माण के अलावे रिहन्द जल का कोई खपत (कंजंक्टिव) उपयोग नहीं किया जायेगा और रिहन्द जलाशय से नियमित और निरंतर 50000 क्यूसेक जलप्रवाह बिहार के सोन अंचल की खेती के लिये होता रहेगा। बाणसागर परियोजना (1963) में भी स्पष्ट उल्लेख है कि बिहार की शताब्दी पुरानी सोन नहरों के लिये 50 लाख एकड़ फीट पानी प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जायेगा और किसी भी परिस्थिति में इसमें कटौती नहीं होगी। इस पानी का आधा भाग से अधिक पानी 21 लाख एकड़ फीट रिहन्द जलाशय से मिलेगा। इसके अलावे 5.50 लाख एकड़ फिट पानी उच्चस्तरीय सोननहरों के लिये और 2.50 लाख एकड़ फीट पानी गंगा नदी से भी सोन अंचल को मिलेगा।

परन्तु रिहन्द परियोजना (1963) और बाणसागर परियोजना (1963) का उल्लंघन कर केन्द्र प्रदेश सरकार ने मिलकर रिहन्द जलाशय से बिहार की सोन नहरों के हिस्से का पानी गैरकानूनी तीरके से सिंगरौली में निर्मित अपने ताप बिजली घरों के लिये इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसका विनायाकारी प्रभाव बिहार की सोन अंचल की खेती पर पड़ रहा है। प्रत्येक साल सोन अंचल की 30 प्रतिशत से अधिक फसल जलाभाव के कारण सूख जा रही है।

एन.टी.पी.सी. और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकार द्वारा तैयार किया गया "इंटीग्रेटेड थर्मल पावर डेवलपमेंट एंड सिंगरौली इन यू.पी. एण्ड एम.पी." नामक प्रतिरोण के अनुसार सम्पूर्ण सोन घाटी

में 35685 मेगावाट और अकेले रिहन्द घाटी में 26125 मेगा वाट क्षमता के ताप बिजली घरों का निर्माण होना है और इनके लिये पानी सोन एवं सहायक नदियों खासकर रिहन्द जलाशय से लिया जायेगा। इनका ताप बिजली घरों और इनकी जल आवश्यकता का विवरण निम्न प्रकार है :-

तालिका -1

क्रम संख्या	नदी घाटी का नाम	ताप बिजली घरों की कुल क्षमता (मेगावाट)	वार्षिक जल की आवश्यकता
1	रिहन्द	26125	24.584
2.	गोपद	5000	3.648
3.	जोरिल्ला	1260	0.910
4.	उत्तरकोयल	3000	3.000
5.	उपरी मुख्यसोन	300	0216
	dy	35685	32-359

उपरोक्त तालिका के अनुसार अकेला रिहन्द घाटी में 26125 मेगावाट क्षमता के ताप बिजली पर स्थापित करने की योजना है और इनके लिये 24.584 लाख एकड़फीट पानी की सालाना जरूरत होगी, जिसे रिहन्द जलाशय से लिया जायेगा। जैसा कि सभी जानते हैं, बिहार के लिये रिहन्द जलाशय में वार्षिक जलापलब्धि केवल 25.91 ला, एकड़ फीट है और इसका इस्तेमाल बिहार में सोन अंचल की खेती के लिये होता है इसमें से 25.581 लाख एकड़ फीट जल की ताप बिजली घरों में खपत हो जायेगी तो फिर सोन अंचल की खेती के लिये कुछ भी जल नहीं बचेगा। नतीजतन बिहार के 6 जिले - भेजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और जहानाबाद और पसा की 22.50 लाख एकड़ ६ रती बंजर हो जायेगी और इस इलाके की एक करोड़ जनसंख्याआजीविका छिन जायेगी।

रिहन्द घाटी में जो कुल 26,125 मेगावाट क्षमता के ताप बिजली घर स्थापित किये जा रहे हैं। इनका उनमें जल की खपत का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्रम संख्या	ताप बिजली घरों का नाम	क्षमता मेगावाट में	जल की वार्षिक खपत लाख, एकड़, फीट
1	विश्राम पुर	1260	0.910
2.	वैद्यान	3000	2.200
3.	अनेवरा (निर्मित)	1550	1.120
4.	रेण सागर (निर्मित)	185	0.2000
5.	सिंगरौली (निर्मित)	2000	1.448

क्रम संख्या	ताप बिजली घरों का नाम	क्षमता मेगावाट में	जल की वार्षिक खपत लाख, एकड़, फीट
6.	अनपरा (निर्मित)	3130	2.266
7.	अन्य प्रस्तावित	12000	8.660
8.	बिजुल	3000	2.200
	dy	26125	98-004
9.	ओवर जलाशय में वाष्पीकरण		0.400
10.	रिहन्द जलाशय में वाष्पीकरण		4.480
11.	पेयजल आद्योगिक एवं अन्यान्य उपयोग के लिये		0.600
	dy	26125	98-004

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि रिहन्द घाटी के कुल तापबिजली घरों में 6865 मेगावाट के ताप बिजली कर निर्मित हो चुके हैं, जिसमें वाष्पीकरण एवं अन्यान्य उपयोग को जोड़कर 10 लाख 614 लाख एकड़ फीट जल की खपत हो रही है। यह जल बिहार के हिस्से का है और इसकी गैरसरकारी खपत करते समय बिहार को सुचित तक नहीं किया गया है। अगर सभी ताप बिजली घर बन गये तो रिहन्द का करीब समूचा (24.584 लाख एकड़ फीट पानी इनमें ख जायेगा और बिहार की सिचाई के लिये कुछ भी पानी नहीं बचेगा। इसके अतिरिक्त सोन घाटी में इन ताप बिजली घरों से प्रदूषण का खतरा भी है। मरते निकलने वाली राख, गन्दा जल और हानिकारक रसायन बहकर सोन में मिलेंगे और नहरों द्वारा सोन अंचल के घर घर तक पहुंचेंगे। इसमें फसलों को तो नुकसान होगा ही, जान माल की भी व्यापक क्षति पहुंचेगी। बरसाती नदी होने के कारण प्रदूषण के चलते सोन एक गनदानाला बनकर रह जायेगी।

अतः इस संबंध में हम मांग करते हैं कि :-

1. सोन घाटी में ताप बिजली घरों का निर्माण रोका जाये।
2. अबजक जो ताप बिजली घर बन गये हैं, उनकी होने वाली रिहन्द जल की क्षतिपूर्ती बाणसागर लाशय में मिले हिस्सा से किया जाये।
3. सुरमा के दृष्टिकोण से भी एक स्थान पर इतने अधिक ताप बिजली घरों का निर्माण वाजिव नहीं है इसलिये इनके निर्माण पर रोक लगायी जाये।
4. निर्मित ताप बिजली घरों में प्रदूषण नियंत्रण के प्रभावशाली उपाय किये जाय।

आशा है आप उपरोक्त मांगों को पूरा कर सोन अंचल की सर्वनाश के संकट से बचाने में योगदान करेंगे।

निवेदक

सरयू राय